

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2014 – 15 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिपेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की परिशिष्ट 1.2 भाग क में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास परिशिष्ट 1.2 भाग ख में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां परिशिष्ट 1.3 में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 20वां तथा जनसंख्या के संबंध में 17वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या एक दशक में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 12.5 प्रतिशत थी जोकि 29.50 की अखिल भारतीय औसत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2014 – 15 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 4,35,310 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (परिशिष्ट 1.1)। वर्ष 2014 – 15 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,47,076¹ है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी सुनिश्चित पदार्थों एवं दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर प्रस्तुत सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807	उपलब्ध नहीं
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.66	15.77	11.88	11.54	उपलब्ध नहीं
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93

(स्रोत: आर्थिक एवं सारिव्यकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सारिव्यकीय कार्यालय)

¹

स्रोत: आर्थिक एवं सारिव्यकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार नीचे दिया गया है।

तालिका 1.1: 2014-15 में राजकोषीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					गैर-योजनागत	योजनागत	कुल
भाग - क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	38,012.08	40,798.66	राजस्व व्यय	41,887.10	36,357.52	12,760.35	49,117.87
कर - राजस्व	25,566.60	27,634.57	सामान्य सेवाएं	13,597.31	16,658.80	105.93	16,764.73
कर - भिन्न राजस्व	4,975.06	4,613.12	सामाजिक सेवाएं	15,413.41	9,199.59	9,920.96	19,120.55
संधीय करों/शुल्कों का हिस्सा	3,343.24	3,548.09	आर्थिक सेवाएं	12,740.20	10,354.54	2,733.46	13,088.00
भारत सरकार से अनुदान	4,127.18	5,002.88	सहायता अनुदान एवं अंशदान	136.18	144.59	--	144.59
भाग - ख: पूँजीगत तथा अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74	पूँजीगत परिव्यय	3,934.60	(-)1,121.09	4,836.62	3,715.53
ऋणों एवं अधिग्राही व्यापारी वसूलियां	261.85	272.82	संवितरित ऋण एवं अधिग्राही	775.61	296.29	546.58	842.87
लोक ऋण प्राप्तियां	17,604.16	18,858.75	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,968.47			8,227.41
आकस्मिक निधि	--	-	आकस्मिक निधि	-			--
लोक लेखा प्राप्तियां	26,548.06	28,064.30	लोक लेखा संवितरण	24,560.19			25,609.25
आरंभिक नकद शेष	2697.11	6,007.18	अंतिम नकद शेष	6,007.18			6,507.52
कुल	85,133.15	94,020.45	कुल	85,133.15			94,020.45

(स्रोत: संबोधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग - क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2014-15 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,786.58 करोड़ (7.33 प्रतिशत) बढ़ गई क्योंकि कर राजस्व में ₹ 2,067.97 करोड़ (8.09 प्रतिशत), भारत सरकार (भा.स.) से संधीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 204.85 करोड़ (6.13 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायतानुदान में ₹ 875.70 करोड़ (21.22 प्रतिशत) की वृद्धि थी। तथापि, कर भिन्न राजस्व 2013-14 से ₹ 361.94 करोड़ (7.28 प्रतिशत) तक घट गया। ₹ 27,634.57 करोड़ का राज्य का अपना कर - राजस्व, राजकोषीय सुधार पथ (रा.सु.प.) (₹ 32,205 करोड़) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 30,375 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) (₹ 30,507 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से क्रमशः 14.19 प्रतिशत, 9.02 प्रतिशत तथा 9.41 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2014-15 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613 करोड़) ते.वि.आ. (₹ 18,830 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य, रा.सु.प. में किए गए

प्रक्षेपण ($\text{₹ } 5,330$ करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. ($\text{₹ } 5,867$ करोड़) से क्रमशः 75.50 प्रतिशत, 13.45 प्रतिशत तथा 21.37 प्रतिशत तक कम पड़ गया (परिशिष्ट 1.6)।

- ‘सामान्य सेवाओं’ ($\text{₹ } 3,167$ करोड़), ‘सामाजिक सेवाओं’ ($\text{₹ } 3,707$ करोड़) तथा ‘आर्थिक सेवाओं’ ($\text{₹ } 348$ करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय $\text{₹ } 7,231$ करोड़ (17.26 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) ($\text{₹ } 36,358$ करोड़), ते.वि.आ. में मानकीय आकलन ($\text{₹ } 24,103$ करोड़) के विरुद्ध 50.84 प्रतिशत अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।
- मुख्य शीर्ष “4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय” के अंतर्गत भारत सरकार से $\text{₹ } 1,127.25$ करोड़ की प्राप्ति के कारण ‘आर्थिक सेवाओं’ पर व्यय में मुख्य रूप से कमी के कारण पूंजीगत व्यय में $\text{₹ } 219.07$ करोड़ (5.57 प्रतिशत) की कमी हुई।
- 2014-15 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली $\text{₹ } 10.97$ करोड़ (4.19 प्रतिशत) बढ़ गई।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2013-14 में $\text{₹ } 1,987.87$ करोड़ से 2014-15 में $\text{₹ } 2,455.05$ करोड़ बढ़ गई।
- 2014-15 की समाप्ति पर $\text{₹ } 6,507.52$ करोड़ का नकद शेष गत वर्ष से $\text{₹ } 500.34$ करोड़ बढ़ गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम और संशोधित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने, वित्तीय घाटे को 2010-11 से स.रा.घ.उ. के तीन प्रतिशत तक सीमित करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने और बकाया ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, 2013-14 में 22.8 प्रतिशत तथा 2014-15 में 22.9 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में प्रदान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्षित मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज में भिन्नताएं

राजकोषीय वेरियेबलज	2014-15						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.आरा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य
राजस्व घाटा (-) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	(-) 5013	(-) 5013	(-) 8319	-	(-) 3,306 (65.95 प्रतिशत)	(-) 3,306 (65.95 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3	2.50	2.54	2.89	(-) 3.66	15.60	13.78
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	22.9	18.24	18.24	16.29	(-) 28.86	(-) 10.69	(-) 10.69


वर्ष 2014-15 का राजस्व घाटा (₹ 8,319 करोड़) बजट तथा म.आरा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था तथा राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र., बजट तथा म.आरा.नी.वि. में नियत किए गए क्रमशः तीन, 2.50 तथा 2.54 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 2.89 प्रतिशत था।

वर्ष 2014-15 में कुल बकाया उधार स.रा.घ.उ. का 16.29 प्रतिशत था जोकि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में निर्धारित 22.9 प्रतिशत तथा बजट एवं म.आरा.नी.वि. लक्ष्य 18.24 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक चार्ट 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट: 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2014-15 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 47,690 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 40,799 करोड़ (86 प्रतिशत) थीं। भा.स. से सहायतानुदान, ₹ 7,439 करोड़ के पूर्वानुमान

के विरुद्ध केवल ₹ 5,003 करोड़ (67 प्रतिशत) प्राप्त होने के कारण ₹ 13,305 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध कर-भिन्न प्राप्तियों के अंतर्गत संग्रहण केवल ₹ 9,616 करोड़ (72 प्रतिशत) था। वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 49,118 करोड़) ₹ 52,703 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत था। ब्याज भुगतान (₹ 6,928 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 7,139 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा ₹ 5,747 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 3,716 करोड़ था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 5,013 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 8,319 करोड़ तक बढ़ गया। वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे भी अनुमान से अधिक थे।

1.1.4 जँडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ तालिका 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3 : महिलाओं के लिए स्कीमें – 2014 – 15 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	65.71	65.71
2.	लाडली – केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	27.18	27.18
3.	विधवा पेंशन	572.93	572.93
4.	आंगनवाड़ी वर्करज/हैल्परज का बीमा	2.00	2.00
5.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	35.79	35.79
6.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	0.60	0.60
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा – कक्षों की स्थापना	1.08	1.08
8.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह – सह प्रशिक्षण केन्द्र	1.52	1.52
9.	वृद्ध, विकलांग तथा निराश्रय महिलाओं एवं विधवाओं को पेंशन	14.28	14.28
10.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	1.29	1.29
11.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	2.23	2.23

(स्रोत: राज्य बजट 2014 – 15 तथा 2014 – 15 के विस्तृत विनियोजन लेखे)



1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वित्त लेखे 2014 – 15 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का संघटन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां भारत सरकार से


ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि चार्ट 1.2 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

निम्नलिखित फ्लो चार्ट संसाधनों के घटक तथा उप-घटक दर्शाता है



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)


* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,455 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 28,064 करोड़) घटा लोक लेखा संवितरण (₹ 25,609 करोड़)।



सरकार की कुल प्राप्तियां 2010-11 में ₹ 36,919 करोड़ से ₹ 25,486 करोड़ (69.03 प्रतिशत) तक बढ़कर 2014-15 में ₹ 62,405 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 15,235 करोड़ (59.60 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 9,067 करोड़ (89.91 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,184 करोड़ (93.15 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2010-11 में 69.2 प्रतिशत से 2014-15 में 65.4 प्रतिशत तक घट गया। 2010-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 27.3 प्रतिशत से बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की विवरणी 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का व्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान 59.60 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 59.56 प्रतिशत तक, भारत सरकार से सहायता अनुदान 63.98 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरण 54.13 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2010-11 तथा 2014-15 में 79 प्रतिशत पर समान था। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2010-11 में 11.9 प्रतिशत से 2014-15 में 12.3 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2005-06 से 2013-14 के दौरान 13.45 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (च.वा.वृ.द.) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.76 प्रतिशत) से कम थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 7.33 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 16.10 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.4 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	25,564	30,558	33,634	38,012	40,799
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.77	19.54	10.07	13.02	7.33
आर.आर./स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	9.81	10.23	9.85	9.77	9.37
उत्पलावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	1.315	1.337	0.705	0.934	0.614
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	1.631	1.471	1.085	0.612	0.678
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.806	0.909	0.650	1.527	0.906
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2010-11 में 21.77 प्रतिशत थी, 2014-15 में 7.33 प्रतिशत तक घट गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2010-11 में 0.806 से 2013-14 में 1.527 तक बढ़ गई फिर 2014-15 में 0.906 तक घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर - राजस्व	30,507	30,375	30,375	27,635	(-) 9.41	(-) 9.02	(-) 9.02
कर - भिन्न राजस्व	18,830	5,867	5,867	4,613	(-) 75.50	(-) 21.37	(-) 21.37

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण तेवि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 9.41 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अरा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 9.02 प्रतिशत तक कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां तेवि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 75.50 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों एवं म.अरा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 21.37 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.6 में दिए गए हैं जो 2010-15 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.6: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व श्रीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	11,082.01 (23)	13,383.69 (21)	15,376.58 (15)	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,365.81 (15)	2,831.89 (20)	3,236.48 (14)	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)
वाहनों पर कर	457.36 (65)	740.15 (62)	887.30 (20)	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	2,319.28 (79)	2,793.00 (20)	3,326.25 (19)	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)
भू-राजस्व	10.02 (6)	10.95 (9)	12.98 (19)	12.42 (-4)	15.28 (23)
माल तथा यात्रियों पर कर	387.14 (-1)	429.32 (11)	470.76 (10)	497.45 (6)	527.07 (6)
अन्य कर ²	168.75 (3)	210.46 (31)	248.67 (18)	287.71 (16)	328.32 (14)
कुल	16,790.37 (27)	20,399.46 (21)	23,559.02 (15)	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2010-15 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,844.20 करोड़ (64.59 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2014-15 के दौरान राज्य आबकारी तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण में कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। भू-राजस्व के अंतर्गत उच्चतम वृद्धि देखी गई थी जोकि 2010-11 में 6 प्रतिशत से 2014-15 में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई।

2005-06 से 2013-14 के दौरान कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 13.82 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.32 प्रतिशत) से अधिक थी। पिछले वर्ष की 8.09 प्रतिशत से यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 10.51 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा अपने रासुप. (32,205 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा म.अरा.नी.वि. (₹ 30,375 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.7 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अस्थिर भारतीय औसत से कम है।

²

अन्य करों में, कृषि भूमि से अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।

तालिका 1.7: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		₹ करोड़ में			
बिकियों, व्यापार आदि पर कर	2012-13	15,376.58	95.85	0.62	0.73
	2013-14	16,774.33	101.42	0.60	0.88
	2014-15	18,993.25	118.98	0.63	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2012-13	887.29	14.39	1.62	4.17
	2013-14	1094.86	13.92	1.27	6.25
	2014-15	1191.5	16.76	1.41	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	3,236.49	23.87	0.74	2.96
	2013-14	3,697.35	25.38	0.69	1.81
	2014-15	3,470.45	28.88	0.83	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2012-13	3,326.25	11.7	0.35	3.25
	2013-14	3,202.48	9.62	0.30	3.37
	2014-15	3,108.70	10.37	0.33	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर - भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2010-15) के दौरान कर - भिन्न राजस्व की वृद्धि तालिका 1.8 में दी गई है जोकि 2010-15 के दौरान राज्य के कर - भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2010-15 के दौरान कर - भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज प्राप्तियां	689.34 (3)	864.96 (25)	1,058.21 (22)	1,090.71 (3)	933.59 (-14)
डिविडेंड तथा लाभ	2.48 (-74)	1.64 (-34)	7.05 (330)	6.49 (-8)	5.80 (-11)
अन्य कर - भिन्न प्राप्तियां	2,729.11 (32)	3,855.05 (41)	3,607.89 (-6)	3,877.86 (7)	3,673.73 (-5)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	202	583	139	95	129
(बी) सड़क परिवहन	762	853	1,000	1,098	1,235
(सी) शहरी विकास	975	1039	991	1,105	861
(डी) शिक्षा	270	296	385	319	564
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	83	76	76	79	43
कुल	3,420.93 (25)	4,721.65 (38)	4,673.15 (-1)	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2010-15 के दौरान कर - भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,192 करोड़ (34.84 प्रतिशत) बढ़ गईं। कर - भिन्न राजस्व (₹ 4,613 करोड़) ने गत वर्ष पर ₹ 362 करोड़ (7.27 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 11.31 प्रतिशत संघटित किया।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर रख्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2014 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 1,410.43 करोड़ हैं। बोर्ड ने 2013-14 के दौरान श्रमिक कल्याण स्कीमों पर मात्र ₹ 12.26 करोड़ रख्च किए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2014 - 15 में ₹ 875.70 करोड़ बढ़ गए जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर - योजनागत अनुदान	1,765.98 (9)	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	749.74 (-19)	674.54 (-10)	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	87.79 (73)	50.79 (-42)	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	447.11 (-33)	783.09 (75)	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)
कुल	3,050.62 (-6)	2,754.93 (-10)	2,339.25 (-15)	4,127.18 (76)	5,002.88 (21)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बृहद् निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित कर रही थी। भारत सरकार ने, 2014 - 15 से आगे, राज्य बजट के माध्यम से ये निधियां जारी करने का निर्णय किया। तथापि, भारत सरकार ने 2014 - 15 के दौरान राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर - सरकारी संगठनों को सीधे ₹ 1,285.01 करोड़³ अंतरित किए।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2013 - 14 में ₹ 3,343 करोड़ से बढ़कर 2014 - 15 में ₹ 3,548 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2013 - 14 तथा 2014 - 15 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	ते.वि.आ. की सिफारिश	2013 - 14 के लिए वास्तविक	2014 - 15 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्से योग्य राशि का 32 प्रतिशत	1,124.46	1,239.11	114.65
आयकर		740.43	884.86	144.43
धन कर		3.08	3.35	0.27
सीमा शुल्क		545.53	573.87	28.34
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		385.30	324.04	(-) 61.26
सेवाकर		544.44	522.86	(-) 21.58
कुल		3,343.24	3,548.09	204.85

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

³

2014 - 15 के वित्त लेखाओं का परिशिष्ट VI

ते.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। 2014-15 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 3,548.09 करोड़), अनुमान (₹ 4,009.96 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 461.87 करोड़ कम था।

1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन ‘‘राज्य की समेकित निधि’’ नामक एक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट से नोमिनेटिड निधियों जो विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित की जाती है, को विपरित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों का दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्घृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने, गोदामों के निर्माण इत्यादि के संबंध में बोर्ड द्वारा रखर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-14 के दौरान प्राप्तियां ₹ 1,520.54 करोड़ थी तथा ₹ 1,529.82 करोड़ का व्यय किया गया। मामला वित्त विभाग के पास भेजा गया था (जून 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2015)।

चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थीं, विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों का आप्टीमाइजेशन

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिए गए बजट आबंटन की तुलना में 2010-2015 की अवधि के दौरान किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: 2010 – 15 के दौरान 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट	वास्तविक व्यय	बजट पर व्यय की प्रतिशतता
सामान्य सैक्टर	2,115.91	1,056.28	49.92
आर्थिक एवं सारिव्यकीय विश्लेषण	14.40	2.69	18.68
रखजाना एवं लेखे	10.00	1.52	15.20
न्याय	247.00	40.98	16.59
पुलिस (प्रशिक्षण)	115.00	90.00	78.26
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	1,729.51	921.09	53.26
सामाजिक सैक्टर	3,024.19	2,422.40	80.10
विकास एवं पंचायत	1,193.33	1,070.97	89.75
शहरी स्थानीय निकाय	654.41	465.39	71.12
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	140.39	92.73	66.05
प्राथमिक शिक्षा	229.00	229.00	100.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	482.62	291.01	60.30
स्वास्थ्य	324.44	273.30	84.24
आर्थिक सैक्टर	555.80	213.91	38.49
वानिकी एवं वन्य जीवन	13.20	13.20	100.00
इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	32.10	3.21	10.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	31.50	10.50	33.33
लोक निर्माण	267.00	134.00	50.19
सिंचाई	212.00	53.00	25.00
कुल	5,695.90	3,692.59	64.83

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

2010 – 15 की अवधि के दौरान ₹ 5,695.90 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3,692.59 करोड़ (64.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। सामाजिक सैक्टर स्कीमों में बजट प्रावधान से व्यय की प्रतिशतता संबद्ध रूप से 80 प्रतिशत पर संतोषजनक थी जबकि सामान्य सैक्टर स्कीमों में यह 50 प्रतिशत तथा आर्थिक सैक्टर स्कीमों में मात्र 38 प्रतिशत थी।

सामाजिक सैक्टर में कमी मुख्यतः जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत थी, जहां व्यय बजट प्रावधान का क्रमशः मात्र 60, 66 तथा 71 प्रतिशत था। सामान्य सैक्टर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुलिस (प्रशिक्षण) को छोड़कर सभी स्कीमों में व्यय 20 प्रतिशत से कम था। यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने ₹ 1,729.51 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में मात्र ₹ 921.09 करोड़ (53 प्रतिशत) का अंशदान दिया था। आर्थिक सैक्टर स्कीमों के अंतर्गत समग्र व्यय मात्र 38.49 प्रतिशत था, केवल वन विभाग ने ₹ 13.20 करोड़ की संपूर्ण बजटीय राशि खर्च की। इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई विभागों के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय क्रमशः मात्र 10, 33 तथा 25 प्रतिशत था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा ऋणों के माध्यम से अग्रिमों की प्राप्तियां अर्थात् आंतरिक एवं भारत सरकार तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2010 - 15) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	10,083.78	11,070.19	15,573.73	17,875.90	19,150.31
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8	9.24	10.81	9.89	18.74
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	233.05	294.12	349.38	261.85	272.82
लोक ऋण प्राप्तियां	9,842.73	10,766.83	15,213.54	17,604.16	18,858.75
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	16	9	41	16	7
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	8	26	19	(-) 25	7
स.रा.घ.ज. का	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93
पूंजीगत प्राप्तियों का	16	10	41	15	7

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2014 - 15 के दौरान 16 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 18.74 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 9.89 करोड़) से 89 प्रतिशत अधिक हैं।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 272.82 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इनमें से ₹ 217.65 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। 31 मार्च 2014 को ₹ 4,002.24 करोड़ की कुल बकाया राशि में से मात्र ₹ 55.17 करोड़ अन्य संस्थाओं से वूसल किए गए थे जो बकाया ऋणों की वसूली हेतु राज्य सरकार के कमज़ोर प्रयासों को दर्शाता है।

31 मार्च 2014 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,028.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2014 - 15 के दौरान ₹ 190 करोड़ वितरित किए, इन ऋणों के विरुद्ध प्राप्त कुल पुनर्भुगतान मात्र ₹ छ: करोड़ था। इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,212.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। सरकार ने इन चीनी मिलों को ऋण इस शर्त पर वितरित किए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान की विफलता के मामले में कोई ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ₹ 190 करोड़ के ऋण संस्वीकृत / वितरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2015 को इन चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 162.43 करोड़ का मूलधन, ब्याज भी प्रोद्भूत हो गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि गन्ना उत्पादकों को गन्ना बकायों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार से सहायता प्रदान करने के लिए

अनुवर्ती ऋण संवितरित किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संस्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट था कि पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली सुनिश्चित किए जाने के बाद ही आगे ऋण जारी किए जाएंगे।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्तियां

2014-15 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 18,727.99 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष से ₹ 1,465.30 करोड़ (8.49 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 13,200 करोड़ के ऋण, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 4,276.68 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से ₹ 1,251.31 करोड़ 2014-15 के दौरान उठाए गए थे।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2013-14 में ₹ 2,150.81 करोड़ से ₹ 22.98 करोड़ घटकर 2014-15 में ₹ 2,127.83 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 130.76 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 153.74 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंड्स, डिपोजिट्स, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अंदीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी गई हैं।

तालिका: 1.13: 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का अधिक्य	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,498.81	2,747.69	1,777.82	1,706.64	720.99	1,041.05
बी) आरक्षित निधि	511.50	1,257.10	60.20	247.79	451.30	1,009.31
सी) जमा	15,621.07	17,064.80	14,534.64	16,593.45	1,086.43	471.35
डी) अग्रिम	24.43	27.02	24.43	26.95	--	0.07
ई) उचंत तथा विविध	371.03	453.48	641.64	506.32	(-) 270.61	(-) 52.84
एफ) प्रेषण	7,521.22	6,514.21	7,521.46	6,528.10	(-) 0.24	(-) 13.89
कुल	26,548.06	28,064.30	24,560.19	25,609.25	1,987.87	2,455.05


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग के विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सबसीडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में किए गए हैं।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.5 गत पांच वर्षों (2010-15) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए ‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं ‘कार्यकलापों द्वारा व्यय’ दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 एवं 1.7 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


पांच वर्षों (2010-15) की अवधि में कुल व्यय 62.3 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 15.2 प्रतिशत बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 34 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत के अनुपात में था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 73.5 प्रतिशत बढ़ गया और पूँजीगत व्यय 7.8 प्रतिशत घट गया। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 16.8 प्रतिशत बढ़ गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2010-11 में 85.62 प्रतिशत से 2014-15 में 91.51 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2010-11 में 12.19 प्रतिशत से 2014-15 में 6.92 प्रतिशत तक घट गया जो चिंता का विषय है। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2010-11 में 2.19 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में

1.57 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2010-11 में 66.72 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 67.73 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2010-11 में 8.46 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 8.35 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा सामाजिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2010-11 में क्रमशः 29 तथा 37 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में क्रमशः 32 तथा 40 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2010-11 में 33 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 27 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसने विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2010-11 में 70 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 67 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2010-15) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय	28,310	32,015	38,072	41,887	49,118
वृद्धि दर (प्रतिशत)	12	13	19	10	17
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता	11	11	11	11	11
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	22,059	24,223	28,616	31,735	36,358
राजस्व व्यय से गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	78	76	75	76	74

2010-15 के दौरान राजस्व व्यय 12 से 19 प्रतिशत के मध्य शृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 20,808 करोड़ (73.5 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु इसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 पर स्थिर रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 41,887 करोड़ से 17.26 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशनों (₹ 432.65 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों

(₹ 1,078.50 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 3,168 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,919.68 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 471.21 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 1,167.74 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 3,706 करोड़ तक बढ़ गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय मात्र ₹ 348 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (74 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (26 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 7,230.77 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमशः ₹ 4,622.51 करोड़ और ₹ 2,608.26 करोड़ शामिल थे।

2014-15 में ₹ 36,357.52 करोड़ का गै.यो.रा.व्य., ते.वि.आ. के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 24,102.58 करोड़), रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 35,210 करोड़) से अधिक था परंतु सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 36,777.53 करोड़) से थोड़ा कम था (परिशिष्ट 1.6)।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेरवे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः व्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2010-15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.15 एवं चार्ट 1.8 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसमें	9809 (38)	9,960 (33)	11,464 (34)	11,816 (31)	14,510	14,359* (35)
गैर-योजनागत शीर्ष	8,974	9,070	10,280	10,374	12,592	12,250
योजनागत शीर्ष**	835	890	1,184	1,442	1,918	2,109
व्याज भुगतान	3,319 (13)	4,001 (13)	4,744 (14)	5,850 (15)	7,015	6,928 (17)
पेंशनों पर व्यय	3,094 (12)	3,204 (10)	3,636 (11)	4,169 (11)	4,602	4,602 (11)
सबसीडिज	3,285 (13)	3,853 (13)	5,454 (16)	5,681 (15)	5,695	5,693 (14)
कुल	19,507	21,018	25,298	27,516	31,822	31,582

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे तथा महालेरवाकार (लेरवा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 203.53 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय ($\text{₹} 25,686$ करोड़), सरकार द्वारा अपने रासुप. ($\text{₹} 22,680$ करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से $\text{₹} 3,006$ करोड़ (13.25 प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 35 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सर्वसिडी ने 2014 – 15 के दौरान गैर-यो.रा.व्य. का लगभग 81 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2010 – 11 से 2014 – 15 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय ($\text{₹} 14,359$ करोड़) 46.39 प्रतिशत बढ़ गया। 2005 – 06 से 2013 – 14 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 14.88 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों ($\text{₹} 15.23$ प्रतिशत) में अधिक थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 21.52 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.75 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय ($\text{₹} 14,156$ करोड़) राज्य के अपने रासुप. ($\text{₹} 12,310$ करोड़), ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण ($\text{₹} 8,148$ करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों ($\text{₹} 14,737$ करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान ($\text{₹} 6,928$ करोड़) पांच वर्ष (2010 – 15) की अवधि में 108.74 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2014 – 15 के दौरान $\text{₹} 1,078$ करोड़ (18.43 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2010 – 11 में 12.98 प्रतिशत से बढ़कर 2014 – 15 में 16.98 प्रतिशत हो गई। 2014 – 15 के दौरान ब्याज भुगतान राज्य द्वारा अपने रासुप. में किए गए प्रक्षेपणों ($\text{₹} 5,800$ करोड़) और ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण ($\text{₹} 6,113$ करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों ($\text{₹} 7,139$ करोड़) के अंतर्गत थे (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज़

सबसिडीज़ पर भुगतान 2010-11 में ₹ 3,285 करोड़ से ₹ 2,408 करोड़ (73.3 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 5,693 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13.95 प्रतिशत था। ₹ 5,693 करोड़ की कुल सबसिडीज़ में से ₹ 5,238 करोड़ (92 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सबसिडीज़ रासुप. (₹ 4,420 करोड़) तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 4,495 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी। (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ शामिल नहीं हैं। 2014-15 के दौरान प्रदान की गई कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ तालिका 1.16 में वर्णित हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम / सबसिडी	बजट अनुमान		व्यय
		मूल	संशोधित	
1.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफीशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	4.00	0.09	0.09
2.	फसलों की विविधता के प्रोत्साहन की स्कीम	8.00	4.30	4.30
3.	मिट्टी स्वास्थ्य एवं उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	2.00	0.37	0.37
4.	जल बचाव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर सहायता प्रदान करने की स्कीम	10.00	8.32	8.32
5.	हरियाणा में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	7.50	6.25	6.25
6.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रोमोशन की स्कीम	7.00	5.50	5.50
7.	माईक्रो इरीगेशन	46.49	28.54	28.54
8.	हाई-टैक डेरी इकाइयों की स्थापना के लिए स्कीम	4.00	4.85	4.85
9.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	32.16	15.16	15.16
10.	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को सहायता	86.00	86.00	86.00
11.	सभी सहकारी चीनी मिलों के पुराने ऋण का समायोजन	190.00	190.00	190.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 4,602 करोड़) 48.74 प्रतिशत तक बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का 11.28 प्रतिशत था। 2014-15 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 2,839 करोड़) तथा सरकार द्वारा ₹ 4,570 करोड़ के अपने रासुप. तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 4,500 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था। (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फ्लैगशिप स्कीमें: व्यय की स्थिति

फ्लैगशिप स्कीमें, राष्ट्र के इनकलुसिव विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के मंत्रालयों, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फ्लैगशिप स्कीमों के लिए 2014 - 15 के दौरान तालिका 1.17 में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थीं।

तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वयन फ्लैगशिप स्कीमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आरभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य भिशन	91.99	248.96	112.47	19.24	472.66	468.92	99.2
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांटी अधिनियम	14.57	186.75	20.75	(-) 2.83	219.24	217.82	99
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	54.01	18.59	59.50	0.86	132.96	121.16	91
4	इन्दिरा आवास योजना	29.20	97.62	32.16	7.11	166.09	135.90	82
5	सर्व शिक्षा अभियान	108.89	465.49	223.19	8.35	805.92	761.11	94
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	16.05	277.98	387.89	-	681.92	596.92	88
7	मिड - डे - मील स्कीम	52.26	163.99	111.02	-	327.27	266.21	81
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	61.70	225.81	25.02	-	312.53	250.25	80
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	13.31	244.27	81.42	36.00	375.00	373.89	100
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण भिशन	(-) 15.00	--	--	55.00	40.00	51.93	130
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	15.79	--	--	0.30	16.09	17.38	108
12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (र.कृ.वि.यो.)	73.84	--	119.42	-	193.26	166.48	86
13	निर्मल भारत अभियान	139.25	5.93	-	-	145.18	85.15	59
	कुल	655.86	1,935.39	1,172.84	124.03	3,888.12	3,513.12	90

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

राज्य ने फ्लैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 2014 - 15 के दौरान ₹ 1,935.39 करोड़ प्राप्त किए। 2014 - 15 के लिए ₹ 3,888.12 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य ने ₹ 3,513.12 करोड़ (90 प्रतिशत) उपयोग किए। इदिरा आवास योजना, मिड - डे - मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, निर्मल भारत अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 90 प्रतिशत से कम थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	741.79	648.39	1,140.09	783.66	1,810.05	1,809.77	(-) 0.02
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	291.43	894.67	1,274.01	1,120.80	744.63	744.63	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	267.83	722.40	882.65	1,263.49	1,191.57	1,192.04	0.04
विकास अभिकरण	388.23	480.96	450.65	523.36	745.12	723.72	(-) 2.87
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	211.97	357.67	580.02	518.83	986.47	979.70	(-) 0.69
अन्य	322.21	201.92	320.53	329.53	669.05	656.14	(-) 1.93
कुल	2,223.46	3,306.01	4,647.95	4,539.67	6,146.89	6,106.00	(-) 0.67
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	10	12	11		12	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.18 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2010-11 में ₹ 2,223.46 करोड़ से 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय का 12.43 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 6,106 करोड़ तक बढ़ गई। शैक्षिक संस्थाओं (₹ 1,026.11 करोड़) तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 460.87 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 1,566.33 करोड़ (34.50 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 6,146.89 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 6,106 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.02 और 2.87 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। तालिका 1.19, 2014-15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2011 – 12 और 2014 – 15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य. / स.रा.घ.उ.	वि.व्य. # / कु.व्य.	सा.क्षे.व्य. / कु.व्य.	पू.व्य. / कु.व्य.	शिक्षा / कु.व्य.	स्वास्थ्य / कु.व्य.
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2011 – 12	12.73	71.53	36.85	14.13	16.74	3.28
सामान्य श्रेणी राज्य* औसत (अनुपात) 2011 – 12	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2014 – 15	12.33	67.40	39.16	6.92	17.66	4.17
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2014 – 15	16.49@	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04

* दो राज्यों अर्थात् गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।
कु.व्य. - कुल व्यय, वि.व्य. - विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. - सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. - पूंजीगत व्यय।
@ गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर 17 राज्यों पर आधारित।
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और सवित्रित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
स.रा.घ.उ. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2011 – 12 तथा 2014 – 15 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों (सा.श्रे.रा.) की तुलना में कम था।
- 2011 – 12 की तुलना में 2014 – 15 में विकास व्यय पर प्राथमिकता कम कर दी गई क्योंकि कुल व्यय से इसका अनुपात 71.53 से 67.40 प्रतिशत तक कम हो गया था जबकि सामान्य श्रेणी राज्यों में यह अनुपात बढ़ गया।
- कुल व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात 2011 – 12 की तुलना में 2014 – 15 में हरियाणा में बढ़ गया जबकि सामान्य श्रेणी राज्यों में यह अनुपात थोड़ा सा कम हो गया।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात 2011 – 12 की तुलना में 2014 – 15 में महत्वपूर्ण रूप से घट गया है तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत कम था।
- शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2014 – 15 में थोड़ा सा बढ़ गया था तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई तथा अनुपात 2014 – 15 में बढ़ गया किंतु सामान्य श्रेणी राज्यों से अभी कम था।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन बढ़ाने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार सर्विसिंग पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख – रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। विकास व्यय में सामाजिक – आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित

राजस्व तथा पूँजीगत व्यय शामिल है। तालिका 1.20, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.21 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूँजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	23,266 (70)	27,192 (72)	31,868 (72)	32,300 (69)	41,899 (70)	36,180 (67)
क) विकास राजस्व व्यय	18,901 (57)	21,696 (57)	26,073 (59)	28,154 (60)	35,870 (60)	32,208 (60)
ख) विकास पूँजीगत व्यय	3,832 (12)	5,137 (14)	5,511 (12)	3,653 (8)	5,440 (9)	3,425 (6)
ग) विकास क्रष्ण एवं अग्रिम	533 (1)	359 (1)	284 (1)	493 (1)	589 (1)	547 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान विकास व्यय 55.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 67 प्रतिशत संघटित किया, 2013-14 में ₹ 32,300 करोड़ से मात्र ₹ 3,880 करोड़ (12 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 36,180 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 89 प्रतिशत संघटित किया जबकि क्रष्णों और अग्रिमों सहित पूँजीगत व्यय का हिस्सा केवल सात प्रतिशत था। विकास पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 6.24 प्रतिशत कम हो गया। ₹ 41,899 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 36,180 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 86.35 प्रतिशत है।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय -प्रयोग की कुशलता

सामाजिक /आर्थिक आधारभूत संरचना	2013-14			2014-15		
	कु.व्य. से पूँव्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	कु.व्य. से पूँव्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.021	67.66	0.03	0.020	66.21	0.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.028	51.07	*	0.029	48.38	-
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.343	17.58	7.52	0.319	18.91	7.98
कुल (सा.से.)	0.125	53.23	1.83	0.103	53.67	1.69
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	(-) 1.396	36.16	2.05	(-) 1.098	38.96	1.89
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.439	7.34	7.95	0.454	6.32	8.07
विद्युत एवं ऊर्जा	0.019	0.01	*	0.013	0.03	-
परिवहन	0.440	36.20	2.71	0.371	39.59	3.33
कुल (आ.से.)	0.145	15.24	1.84	0.120	17.07	1.98
कुल (सा.से. + आ.से.)	0.135	35.38	1.83	0.111	37.89	1.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पूँव्य.: पूँजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रख.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात 2013-14 में 0.125 से 2014-15 में 0.103 तक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 2013-14 में 0.145 से 2014-15 में 0.120 तक कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2013-14 में 53.23 प्रतिशत से 2014-15 में 53.67 प्रतिशत तक थोड़ा सा बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2013-14 में 1.83 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.69 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2013-14 में 15.24 प्रतिशत से 2014-15 में 17.07 प्रतिशत तक बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2013-14 में 1.84 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 1.98 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2013-14 में 35.38 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 37.89 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2013-14 में 1.83 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.81 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राज.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सबसीडियों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2015 के अंत पर ₹ 585.07 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2014-15 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 111.14 करोड़) पूँजीगत परिव्यय का 19 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 294.66 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 29.25 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 212.77 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.22 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2015 को पहले ही समाप्त हो चुकी हैं।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संबंधित कुल लागत	मार्च 2015 तक कुल व्यय
सिंचाई	8	56.60	56.60	28.78
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	6	53.64	53.64	33.41
कुल	14	110.24	110.24	62.19

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 14 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि दिसंबर 2012 और मार्च 2015 के मध्य थी, परन्तु ये ₹ 62.19 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की अप्राप्ति सहित जून 2015 तक अपूर्ण थी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2015 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 7,500.22 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.23)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.066 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 9.59 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	6,376.98	6,981.91	7240.02	7378.87	7,757.23	7,500.22
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.48	1.64	7.05	6.49	8.30	5.80
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.04	0.02	0.10	0.09	0.11	0.08
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.22	9.73	9.86	9.83	10.50	9.33
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.18	9.71	9.76	9.74	10.39	9.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षों की अवधि में 17.61 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2010-11 में ₹ 2.48 करोड़ (0.04 प्रतिशत) से 2014-15 में ₹ 5.80 करोड़ (0.08 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2010-15 के दौरान 9.22 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.10 के बीच रही। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान ₹ 140.09 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 66.94 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूँजी में निवेश किए गए थे।

₹ 4,983.04 करोड़ के कुल निवेश वाली दस सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थीं और इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 25,618.85 करोड़ थीं

(परिशिष्ट 1.7)। तीन⁴ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 25,059 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत संघटित किया।

राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन सा.क्षेत्र. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया शुरू नहीं की थी यद्यपि ते.वि.आ. ने इसकी सिफारिश की थी।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबाधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये थे, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ परिशिष्ट 1.8 में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 7,030.36 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज छ: वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 26 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।
- ₹ 678.74 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध दो⁵ विभागीय उपक्रमों की हानियां ₹ 288.84 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए पूर्व अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2014 को ₹ 58,821.70 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ चौदह लो.नि.सां. परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.9) कार्यान्वयन अधीन थी।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका 1.24, 31 मार्च 2015 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

⁴ 2013-14 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,893.80 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 10,726.59 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 438.45 करोड़)।

⁵ कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 288.83 करोड़।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2012-13	2013-14	2014-15	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	3,316	3,489		4,002
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	522	775	1001	843
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	349	262	342	273
अन्त शेष	3,489	4,002		4,572
बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई है	3,489	4,002		4,572
निवल बढ़ोतरी	173	513	659	570
ब्याज प्राप्तियां	69	66	84	40
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.03	1.76	1.84	0.93
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में	7.32	7.67	8.73	7.83
ब्याज भुगतान				
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.29	5.91	6.89	6.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे।)

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 570 करोड़ की निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2015 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 4,572 करोड़ थे। ₹ 1,028.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2014-15 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 190 करोड़ के कुल ऋण दिए थे तथा पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ छः करोड़ वसूल किए गए थे। इसी प्रकार, ₹ 118.11 करोड़ के ऋण वर्ष 2014-15 के दौरान ट्रांसमिशन तथा संवितरण सेवाओं हेतु विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2014 को बकाया ₹ 933.46 करोड़ के पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ 25.95 करोड़ वसूल किए गए थे।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2014 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2015 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 652.85	75.53
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 652.31	76.07
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	3,774.41	2,571.52
कुल (ए)	3,122.10	2,647.59
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	(-) 1.44	3.07
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिन्हित निधियों का निवेश	2,886.41	3,856.75
कुल (बी)	2,885.08	3,859.93
कुल योग (ए)+ (बी)	6,007.18	6,507.52

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

वर्ष 2014-15 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,007.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,507.52 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 3,774.41 करोड़ से घटकर ₹ 2,571.52 करोड़ हो गए। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2014 को ₹ 2,886.41 करोड़ से ₹ 970.34 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2015 को ₹ 3,856.75 करोड़ हो गए, जो मुख्यतः सिंकिंग फंड (₹ 91.12 करोड़) तथा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (₹ 431.87 करोड़) से निवेशों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2014-15 के दौरान निवेशों से प्राप्त ₹ 79.70 करोड़ का ब्याज वर्ष 2013-14 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 112.59 करोड़) से ₹ 32.89 करोड़ तक घट गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2014-15 के दौरान कोई साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया था।

‘चैक्स एंड बिल्स’ शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष ‘8670’ चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आविरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हैड को निरूपित करता है। 1 अप्रैल 2014 को ₹ 0.11 करोड़ की राशि बकाया थी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के कारण वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ तथा अंत शेष वही रहा।

सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान 8.04 प्रतिशत से 9.07 प्रतिशत के मध्य शृंखलित ब्याज दर पर खुले बाजार से ₹ 13,200 करोड़ का ऋण लिया यद्यपि कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाऊंट में शेष 2014-15 के दौरान ₹ 2,826.18 करोड़ से ₹ 6,106.09 करोड़ के मध्य शृंखलित रहा जोकि पांच से 5.50 प्रतिशत के मध्य शृंखलित ब्याज दर पर निवेश किया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग नहीं किया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत चार वर्षों की तदनुरूपी स्थिति से तुलना करके परिशिष्ट 1.5 भाग के एवं रख में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधार, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

जैसा कि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में परिभाषित किया गया है ‘कुल देयता’ का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटीयों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां सूलधन और /या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करती है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को परिशिष्ट 1.5 भाग – ख में प्रस्तुत किया गया है। 2010-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को तालिका 1.26 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2010-11 से 2014-15 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

राजकोषीय देयता के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंतरिक ऋण	32,486	39,343	48,680	58,143	68,797
केंद्रीय सरकार से ऋण	2,180	2,053	1,978	2,151	2,128
लोक लेखा देयताएं	11,616	13,144	14,160	15,969	17,521
कुल	46,282	54,540	64,818	76,263	88,446
वृद्धि दर	17.66	17.84	18.84	17.66	15.97
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	181.04	178.48	192.72	200.63	216.78
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्पावकता	0.81	0.91	1.87	1.36	2.18
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	17.76	18.26	18.99	19.61	20.32

चार्ट 1.10: बकाया राजकोषीय देयताओं का संघटन



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2010-11 में ₹ 46,282 करोड़ से मुख्यतः लोक ऋण (₹ 36,259 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 5,905 करोड़) में वृद्धि के कारण 91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2014-15 में ₹ 88,446 करोड़ हो गई। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2010-11 में 17.76 प्रतिशत

से बढ़कर 2014-15 में 20.32 प्रतिशत हो गई। 2014-15 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.17 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 2.74 गुणा थी। वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 6,928 करोड़ (7.83 प्रतिशत) थी। यह देवताना महत्वपूर्ण है कि ₹ 88,446 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2014-15 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 81,806 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए 2002 में समेकित सिंकिंग फंड स्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि को अंशदान किया जाना अपेक्षित है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के 2006 के दिशानिर्देशों ने यद्यपि सरकार की कुल देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा देयताएं) पर 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान निर्धारित किया।

सरकार ने 2014-15 के लिए समेकित सिंकिंग फंड को अंशदान देने के लिए ₹ 699.38 करोड़ का बजट प्रावधान किया। किंतु निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 91.12 करोड़ को छोड़कर वर्ष के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया था। कोई संवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,153.30 करोड़ की राशि थी।

1.9.3 रिजर्व फंड के अंतर्गत लेन-देन

2014-15 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 3,164.21 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 1,257.10 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 247.79 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 4,173.52 करोड़ का था। रिजर्व फंडों में मुख्यतः सिंकिंग फंड, गारंटी रिडंप्शन फंड तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) शामिल हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 1,736.31 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 255.41 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्से के रूप में ₹ 85.14 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। अतः निधि में कुल ₹ 340.55 करोड़ का अंशदान किया जाना था। परंतु राज्य सरकार ने केवल ₹ 216.37 करोड़, अर्थात् ₹ 124.18 करोड़ का कम अंशदान किया। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों ने भी रा.आ.प्र.नि. को पूरी तरह अंशदान नहीं किया।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों (सितंबर 2010) के अनुसार रा.आ.प्र.नि. के गठन एवं प्रशासन पर इस निधि से प्रत्यक्ष व्यय वर्जित है। राज्य सरकार ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में रा.आ.प्र.नि. से प्रत्यक्ष रूप से ₹ 218.04 करोड़ (2013-14: ₹ 103.80 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 114.24 करोड़) खर्च किए।

1.9.4 इनओपरेटिव रिजर्व फंड्स

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित ग्यारह रिजर्व फंड्स थे। जिनमें से केवल आठ फंड्स एक्टिव हैं तथा वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष वाले कृषि प्रयोजनों के लिए विकास फंड्स, औद्योगिक विकास फंड्स, खाद्यान्न रिजर्व फंड्स नामक तीन फंड्स निष्क्रिय हैं।

1.9.5 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.27 में दी गई हैं।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
फीस सहित गारंटियों की बकाया राशि	4,528	5,608	21,124	27,309	30,389
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि की प्रतिशतता	18	18	63	72	74

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2014-15 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2015 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 30,389 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 28,354 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,373 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 662 करोड़) के संबंध में थी। गारंटियों के अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों की देयताओं के विरुद्ध ₹ 2,604 करोड़ के लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंकों को जारी किए जिनसे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2003-04 के दौरान गारंटी रिडिंपशन निधि की संरचना की। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशानिर्देश पिछले वर्ष की बकाया गारंटियों का न्यूनतम तीन से पांच प्रतिशत का कोरपस प्राप्त करने के लिए वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत का अंशदान तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम अंशदान इंगित करते हैं। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 753.15 करोड़ शेष थे (₹ 27,307.71 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 2.75 प्रतिशत) जोकि निवेश किया गया रहा। सरकार ने 2014-15 के दौरान निवेश पर अर्जित ₹ 11.90 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 653.50 करोड़ का योगदान निधि में दिया। आगे, यह देखा गया था कि निधियां, दो से सात प्रतिशत के बीच श्रृंखलित प्रीमियम पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी परिणामतः ₹ 35.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। 2014-15 के दौरान गारंटियों तथा लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 1,21,439 करोड़ (₹ 88,446 करोड़ + ₹ 30,389 करोड़ + ₹ 2,604 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 27.90 प्रतिशत थी।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक उधार प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति उधार
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2010-11	26,798.03	10,204.94	4,517.00	32,485.97	5,687.94	21.23	12,790
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	27,086

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

राज्य सरकार का आंतरिक उधार 2010-11 में ₹ 26,798 करोड़ से ₹ 41,999 करोड़ (157 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 68,797 करोड़ हो गया। 2014-015 के दौरान आंतरिक उधार पर ₹ 5,887 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्षण ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा माप की गई) और सरकार की प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी प्रोफाइल के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.29 2010-11 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	(-) 17	259	(-)2,869	(-)344	(-) 3,675
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (रिसोर्स गैप)	2,831	105	(-)3,209	2,048	(-) 4,272
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	3,564	4,642	6,138	6,045	5,254
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	13	13	14	15	17
राज्य ऋण का मैच्योरिटी प्रोफाइल (वर्षों में)					
0 – 1	3,275.07 (9)	4,970.85 (12)	6,224.90 (12)	4,948.92 (8)	3,189.78 (4)
1 – 3	4,314.32 (12)	4,585.10 (11)	4,731.52 (9)	3,904.94 (6)	4,233.24 (6)
3 – 5	4,431.02 (13)	3,645.32 (9)	2,450.62 (5)	5,308.41 (9)	9,901.34 (14)
5 – 7	2,115.30 (6)	4,714.03 (11)	8,825.02 (18)	10,725.71 (18)	12,903.60 (18)
7 वर्ष एवं अधिक	20,538.33 (60)	23,480.82 (57)	28,423.90 (56)	35,405.98 (59)	40,975.44 (58)

(कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव आगे 2013-14 में (-) ₹ 344 करोड़ से घटकर 2014-15 में (-) ₹ 3,675 करोड़ हो गया। परिणामस्वरूप ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ गया जो यदि सुधारात्मक उपाय न किए जाएं तो मध्यम से दीर्घ अवधि में राज्य की ऋण पोषण क्षमता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान संसाधन अंतराल निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय यह इंगित करते हुए उधार ली गई निधियों से अंशतः वहन किया गया था कि राज्य को अपनी ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधन संघटन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

उधार ली गई निधियों से उपलब्ध निवल निधियों की स्थिति 2013-14 में ₹ 6,045 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹ 5,254 करोड़ हो गई। 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने 2013-14 में ₹ 11,446 करोड़ की तुलना में 8.04 से 9.07 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित व्याज दरों पर ₹ 13,200 करोड़ के बाजार ऋण उठाए।


राज्य ऋण की मैच्योरिटी प्रोफाइल, जैसा कि तालिका 1.29 में दी गई है, इंगित करती है कि सरकार को अपने ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य छः प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य 14 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 18 प्रतिशत और सात वर्षों के बाद 58 प्रतिशत ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां सूजित करने के लिए अपनी ऋण पोषण क्षमता बढ़ानी होगी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को तीन राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्षण, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2014-15 के लिये रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 2010-15 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ था, 2014-15 में क्रमशः ₹ 8,319 करोड़, ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2014-15 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. तथा म.आर.वी.नी.वि. में नियत किए गए क्रमशः तीन तथा 2.54 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 2.89 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.30 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.31 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362	(-) 8,314	(-) 12,586
1 राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438	(-) 3,875	(-) 8,319
2 निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,023	(-) 5,363	(-) 5,751	(-) 3,925	(-) 3,697
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 489	(-) 333	(-) 173	(-) 514	(-) 570
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 मार्किंट उधार	4,157.63	5,994.89	8,574.38	10,621.36	12,372.99
2 भा.स. से ऋण	183.71	(-) 127.17	(-) 75.54	173.08	(-) 22.98
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	934.31	(-) 329.47	(-) 91.55	28.07	707.45
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	595.99	1,191.44	854.88	(-) 1,186.82	(-) 2,426.12
5 लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	747.80	718.53	457.96	720.99	1,041.05
6 रिजर्व निधि	8.93	(-) 16.65	(-) 39.09	2.29	38.97
7 जमा एवं अग्रिम	316.66	826.54	597.05	1,086.43	471.42
8 उचंत एवं विविध	(-) 635.88	406.73	370.77	(-) 3948.95	1,145.54
9 प्रेषण	305.08	214.88	(-) 72.60	(-) 0.25	(-) 13.89
10 ओवर आल सरलय (+) घाटा (-)	6,614.23	8,879.72	10,576.26	7,496.20	13,314.43
11 रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 644.20	(-) 1,726.40	(-) 214.43	(+) 817.28	(-) 728.38
12 सकल राजकोषीय घाटा	7,258	7,153	10,362	8,314	12,586.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेरवे)

* 8999 - रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.31: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	13,200.00	827.01	12,372.99	
2 भा.स. से ऋण	130.76	153.74	(-) 22.98	
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,251.31	543.86	707.45	
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,276.68	6,702.80	(-) 2,426.12	
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,747.69	1,706.64	1,041.05	
6 जमा और अग्रिम	17,091.82	16,620.40	471.42	
7 रिजर्व निधियां	1,475.15	1,436.18	38.97	
8 उचंत एवं विविध	50,502.13	49,356.59	1,145.54	
9 प्रेषण	6,514.21	6,528.10	(-) 13.89	
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)			13,314.43	
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			(-) 728.38	
12 कुल राजकोषीय घाटा			12,586.05	

(स्रोत: राज्य वित्त लेरवे)

2013-14 में बाजार उधारों का योगदान ₹ 12,373 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष के ₹ 10,621 करोड़ से ₹ 1,752 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 1,041 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 471 करोड़) थी।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के द्विभाजन (तालिका 1.3 2) से यह पता चलता है कि पूँजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.3 2: प्राथमिक घाटा/आधिक्य – फैक्टरज का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-) 3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-) 5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2464
2014-15	41,091	42,190	3,716	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पिछले वर्षों का प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2014-15 के दौरान प्राथमिक राजस्व घाटे में बदल गया क्योंकि प्राथमिक राजस्व व्यय गैर-ऋण प्राप्तियों से उच्चतर दरों पर बढ़ गया। यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने में भी कम पड़ गई तथा प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई थी।

1.12 निष्कर्ष

2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियां मुख्यतः कर राजस्व ₹ 2,067.97 करोड़ (8.09 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 2,786.58 करोड़ (7.33 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2014-15 के लिए कर-राजस्व तेवि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.41 प्रतिशत तक कम तथा कर-भिन्न राजस्व 75.50 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 1,520.54 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-14 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 91.51 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 36,358 करोड़ था, जो ते.वि.आ. (₹ 24,103 करोड़) के प्रक्षेपण से 51 प्रतिशत अधिक था जिसमें से 81 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैशन देयताएं, ब्याज भुगतान और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 5,693 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 5,238 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.02 से 0.10 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2013-14 में ₹ 3,875 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2013-14 में क्रमशः ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ रही, 2014-15 में क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ तक बढ़ गई।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2015 को ₹ 88,446 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 20.32 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.17 गुणा थी।

सरकार के आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹ 58,143 करोड़ से बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 68,797 करोड़ हो गए। 2014-15 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 5,887 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2014-15 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

1.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा शून्य तक लाने तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ करना।
- (ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना।
- (iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना, अनुकूल योजना बनाना तथा उनके पुनरुद्धार के लिए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।